न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या – 85/2014 तारीख रज्जू : 29-04-2014

RCMS NO. – 2014/00429

बउनवान

1. श्रीमती महेन्डी बेवा चन्दनसिंह – मृतक
2. श्रीमती बृजेश] पुत्रिया चन्दनसिंह
3. श्रीमती सुनीता]
4. श्रीमती मंजू]
5. सुमन पुत्री चन्दनसिंह – मृतक

5/1 रानी पुत्री उम्र 14 वर्ष] नाबालिग पुत्र महेन्द्री जरिये प्राकृतिक पिता
5/2 छोटू पुत्र उम्र 15 वर्ष] सरपरस्त पिता स्वयं

6. पवन] पुत्रगण चंदनसिंह
7. ओमवीर]
8. धनंजय]

समस्त जाति जाट निवासी दयौनी तहसील व जिला भरतपुर

– असल अपीलान्टान

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र रघुनाथ – मृतक

1/1 अमीरी पत्नी राजेन्द्र] पिस॰ राजेन्द्र
1/2 हंसराज]
1/3 देशराज]
1/4 प्रताप – मृतक]

1/4/1. दीपक] पुत्रगण प्रताप पुत्र राजेन्द्र
1/4/2. तन्मय]

1/4/3 मुस॰ गुड्डी बेवा प्रताप पुत्र राजेन्द्र

1/5. पप्पू पुत्र राजेन्द्र

1/6. मोहेन्डी पुत्री राजेन्द्र

1/7. मीना पुत्री राजेन्द्र

2. राधेश्याम ~~[illegible]~~ 3. रोहताश 4. सौदान 5. सुरेन्द्र पिस॰ निरंजन जाति जाट निवासी सौंख, तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

[illegible]

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

6. लक्ष्मनसिंह पुत्र चन्दनसिंह जाति जाट निवासी हथैनी तहसील व जिला भरतपुर हाल बंदी सेवर कारागृह जरिये जेलर केन्द्रीय कारागृह सेवर, भरतपुर

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भरतपुर।

— तरतीबी रेस्पोडेण्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 RT Act विरुद्ध डिक्री व निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर दिनांक 10.1.2014 व मुकदमा दावा संख्या 185/2012 अध्वसी राजेन्द्र वगैरा बनाम राजस्थान सरकार वगैरा।

उपस्थित :

1. अपीलाण्टस की ओर से वकील श्री राजेश सोगरवाल
2. रेस्पोडेण्टस की ओर से वकील श्री गोविंद सिंह ठाकुर

निर्णय

दिनांक : 28-07-2023

अपीलाण्टस ने एक अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय की पेश की कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून, मिसल एवं रिकार्ड के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद रहा है कि, असल रेस्पोडेण्ट सं. 1 का भाई चन्दनसिंह था जो अपीलाण्टस एवं तरतीबी रेस्पो. सं. 6 का पिता था जिसके अपीलाण्टस कानूनी वारिस है। फिर भी असल रेस्पोडेण्टस ने ना तो अपीलाण्ट संख्या 1 लगायत 6 को वादी रेस्पोडेण्टस ने पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया और ना ही न्यायालय तहत ने पक्षकार बनाया जबकि मृतक चन्दनसिंह के अपीलाण्टस कायम मुकाम है जिनकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन डिक्री व निर्णय तहत न्यायालय ने पारित कर दिये जो विधिसंगत नहीं होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट सं. 8 अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित होना व उसके बाद अनुपस्थित होने पर एवं अपीलाण्ट सं. 7 व तरतीबी रेस्पोडेण्ट सं. 6 को जरिये रजिस्टर्ड AD तलब करने पर उपस्थित ना होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी जबकि सही तथ्य यह है कि अपीलाण्ट सं. 7 व तरतीबी रेस्पोडेण्ट सं. 6 को किसी भी प्रकार से समन नहीं मिला [illegible]

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर [illegible]

तो ऐसी सूरत में अपीलान्ट सं. 8 स्वयं उपस्थित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। कथित तामील भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। फिर भी न्यायालय तहत ने अपीलान्टस के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन डिक्री व निर्णय पारित कर दिया जो विधि संगत ना होने के कारण काबिले निरस्त है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोन्डेन्ट वादीगण ने सही तथ्यों को छुपाते हुए व अदालत को धोखा देते हुए दावा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि वादीगण एवं अपीलान्टस के मृतक पिता चंदनसिंह संयुक्त रूप से नानी द्वारा छोड़ी गई आराजी मुतनाजा पर काबिज है ये तथ्य नितांत गलत है क्योंकि विवादित आराजी के अतिरिक्त अन्य आराजीयात वाके ग्राम सांतरुक तहसील कुम्हेर में अपीलान्टस एवं रेस्पोन्डेन्टस की पैतृक आराजी है इसलिये अपीलान्टस के पिता के जीवनकाल में समस्त आराजीयात (दोनो उक्त ग्राम) का आपसी सहमति से विभाजन हो गया जिसके मुताबिक विवादित आराजी वाके ग्राम हथैनी तहसील भरतपुर को अपीलान्टस के पिता मृतक चंदनसिंह को दी गई क्योंकि मृतक पिता बचपन से ही मृतक नानी के साथ ग्राम हथैनी में रहते थे तथा आराजी वाके ग्राम सांतरुक तहसील कुम्हेर को असल रेस्पो० संख्या 1 व रेस्पो. सं. 2 लगायत 5 को बहिस्सा बराबर दी गई क्योंकि ये ग्राम सांतरुक में रहते थे। ये लोग न तो कभी ग्राम हथैनी मे रहे और ना ही हथैनी वाली आराजी पर काबिज रहे। आज भी इस विवादित आराजी पर अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पो० सं. 6 ही बहैसियत खातेदार काश्तकार है जिसमें वादीगण का कोई हित अथवा संबंध व कब्जा नही है। उक्त सहमति के उक्त विभाजन के मुताबिक ही वादीगण ग्राम सांतरुक की आराजी का इन्द्राज अपीलान्टस को छोड़ते हुए अपने नाम करा ली है इसलिये अब उन्होंने बेईमानी करते हुए आराजी मुतनाजा की आक्षेपित डिक्री व निर्णय बाला-बाला ही एकतरफा में पारित करा ली है जो कतई अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं फरमाया कि जब अपीलान्टस व रेस्पोन्डेन्टस एक ही दादा की औलाद है तो फिर पैतृक संपत्ति में बराबर के ही हिस्सेदार है परन्तु इस निर्णय से रेस्पोन्डेन्ट असल को ग्राम हथैनी की

सत्य प्रतिलिपि ... कार्यकारी
भरतपुर (राज.)

आराजी मुतनाजा में 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया है तथा गांव सांतरूक की समस्त आराजी के रेस्पोडेन्ट असल खातेदार दर्ज है। जबकि ग्राम सांतरूक की आराजी के 1/3 हिस्से के अपीलान्टस है। इन समस्त तथ्यों को छुपाते हुए अपीलान्टस को उनके निहित हिस्से से महरूम करने के आशय से न्यायालय को धोखा देकर यह निर्णय व डिक्री पारित करा ली है जो कतई गलत व विधिविरुद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। अत: अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन डिक्री व निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर दिनांक 10.01.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस नं. 1 से 5 की ओर से वकील श्री गोविंदसिंह डागुर एवं रेस्पो. नं. 6 की ओर से वकील श्रीमती शशि बंसल ने पैरवी हेतु हाजिर अदालत आकर वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्टस द्वारा जवाब अपील प्रस्तुत नही किया गया।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने दौराने बहस अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए दलील दी कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टस का दावा डिक्री हुआ है। विवादित भूमि दो गांवों हथौनी (तहसील भरतपुर) एवं सांतरूक (तहसील कुम्हेर) मे स्थित है। पिता के जीवनकाल में ही बटवारा हो गया था और अपीलान्टस के हिस्से में हथौनी की भूमि आयी थी क्योंकि रेस्पो० को सांतरूक में भूमि दे दी थी। दावा एकतरफा में डिक्री हुआ है जबकि पूरी पत्रावली में अपीलान्ट्स के नाम के कोई सम्मन व रजिस्टर्ड एडी वापस लौटकर आना नहीं पाये जाते हैं। प्रस्तुत रपोर्ट से [illegible] नहीं जा सकती है। अपीलान्ट नं. 2 व 3 की रसीदात पेश की है जिससे [illegible] की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने [illegible] अपीलान्ट्स [illegible]

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पर हस्ताक्षर है लेकिन इसकी कोई शिनाख्तगी नही है। दावा फर्जकारी कर एकतरफा में डिक्री करवाया है। सीपीसी के आर्डर 5 के तहत पहले हमारी सम्मन से तामील होनी चाहिये थी लेकिन एक भी सम्मन पत्रावली में उपलब्ध नही है। इनके द्वारा सीधे ही रजिस्टर्ड एडी तामील कर एकपक्षीय कार्यवाही करवायी गई है। रेस्पोंडेन्टस को ग्राम सातरूक में भूमि मिल गयी थी और उसमें अपीलार्थी को हिस्सा नही मिला। मृतक चंदन के 3 वारिस बताये है जबकि उसके 8 वारिस है और उसकी लड़कियों के नाम नही लिखाये। पक्षकारों में चंदनसिंह की पत्नी व 5 पुत्रियों को पक्षकार नही बनाया है। ऐसे में दावा पक्षकारों के असंयोजन के कारण संधारणीय नही है। पहले ही पक्षकारों में पारिवारिक बटवारा सहमति से हो चुका है तो दुबारा बंटवारे की आवश्यकता नही है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हेतु सभी को पक्षकार बनाकर सुनवाई की आवश्यकता है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर प्रकरण को रिमाण्ड करने की इस्तदुआ की।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो० ने दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपी० द्वारा दी गई दलीलों का पुरजोर विरोध करते हुए दलील दी कि दावे में रघुनाथ के 3 पुत्र – राजेन्द्रसिंह, निरंजनसिंह व चंदनसिंह बताये है जो एक ही परिवार के है। अपीलार्थीस को दावा में तरतीबी पक्षकार बनाया है। दावे की कार्यवाही में प्रतिवादी नं. 4 धनंजय उपस्थित होगया था और आदेशिका पर उसके हस्ताक्षर अंकित है। दावे में व अपील मे उसके हस्ताक्षर समान है और मिलते है। जल्दी सुनवाई हेतु प्रतिवादीगण/अपीलार्थीस की तामील रजिस्टर्ड ए डी से करवायी गई थी तथा 6 माह बाद ही रजिस्टर्ड A/D से तामील करवायी गई थी। रजिस्टर्ड A/D के जरिये तामील होने पर रजिस्टर्ड A/D न लौटने पर 30 दिन बाद यह Presumption किया जाता है कि तामील हो चुकी है और [illegible]

सहायक अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

संपत्ति / भूमि हमारे नाना की है जो हथैनी ग्राम में है। खाता [illegible] नंबरान नवल पुत्र कृपा जाति जाट निवासी हथैनी की खातेदारी की आराजी है। नवला की वारिस उसकी एकमात्र पुत्री बातो है नाना के जीवनकाल में वादी राजेन्द्र, निरंजन व चंदन व इनके पिता रघुनाथ व बातो ग्राम हथैनी में ही रहने लगे थे। नाना नवला की आराजी की देखभाल व काश्त करते इनके इन्द्राज शिकमी RT Act लागू होने से पहले संवत 2005 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गये थे। बाद में इनको RT Act लागू होने पर धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। नवला की मृत्यु उपरांत विवादित आराजी ~~मुताबि~~ मुताबिक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम श्रीमती बातो को विरासतन प्राप्त होगी और उसके बाद वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को प्राप्त होगी। अपीलार्थी को 1/3 हिस्सा मिल चुका है और उसमें से अपनी बहनों को हिस्सा ये स्वयं ही देंगे। इसलिये पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया है तो ये स्वयं ही अपने हिस्से में से पुत्रियों / बहनों को ये स्वयं दे देंगे। अतः अपील - अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। दावा की पत्रावली [illegible] अवलोकन से प्रकट होता है कि संलग्न रजिस्टर्ड एडी तलबी प्रति. स. 2 व 3 में पोस्ट ऑफिस की रजिस्ट्री की रसीदात है और उनके ही आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 3-10-2012 को रजिस्टर्ड सम्मन भेजने की 30 दिन से अधिक की अवधि व्यतीत होने के बाद तलबी निश्चित मानते हुए इनकी एकपक्षीय कार्यवाही अमल लायी गई तथा प्रतिवादी नं. 4 के बावजूद [illegible] उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई [illegible] न्यायालय ने [illegible] दिनांक [illegible] 2012 को [illegible] [illegible] [illegible] प्रतिवादीगण 2 व 3 की [illegible] [illegible]

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

से तलबी के आदेश हुए थे और वादीगण ने तो आदेशों की पालना की थी। अतः ऐसा कहना कि उन्होंने साधारण सम्मन से तलबी के स्थान पर रजिस्टर्ड एडी से तामील करवायी उचित प्रतीत नही होती है और विधि के अनुरूप नही है। इसके अलावा तामील के किसी भी प्रकार को शीघ्र न्याय की अवधारणा के मध्येनजर इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही यह कहना कि प्रति० 2, 3, व 4 की तामील नही हुई गलत है क्योंकि प्रति.न.4 तो न्यायालय में उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर भी करके गया था तथा प्रति.न. 2 व 3 की तामील जरिये रजिस्टर्ड A/D की 30 दिन बाद लौटकर नही आने की स्थिति में तलबी पूर्ण मानकर न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये है जो विधिक प्रक्रिया के अनुरूप ही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने तामील की प्रक्रिया में कोई त्रुटि नही की है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि वाके ग्राम हथैनी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाना नवला की थी और उसकी एकमात्र वारिस इनकी माता बातो थी और रिकार्ड में बातो के तीनो पुत्रो - राजेन्द्र, निरंजन एवं चंदनसिंह की नवला की खातेदारी में बकाश्त भी पायी जाती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नवला की भूमि के ये तीनों ही हकदार थे और अधीनस्थ न्यायालय ने इन तीनों के नाम खातेदारी करने में कोई चूक नही की है। इसके अलावा अपीलार्थीगण अपनी अपील में अपने पिता के जीवनकाल में दोनों ग्रामो - हथैनी एवं सांतरूक की भूमियों का आपसी सहमति से विभाजन होना बताते है लेकिन इस संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य/सबूत उपलब्ध नही है जिसके आधार पर इस संबंध में कोई निष्कर्ष दिया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक चंदन सिंह के पुत्रान के नाम उसका 1/3 हिस्सा खातेदारी में दिया है जिसको ये तीनो भाई ही अपनी बहनों को हिस्सा दे

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

सकेंगे। अपीलाण्टस द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किया जाना नहीं पाया जाता है कि दो गांवो की भूमि उनके पूर्वजों के नाम थी और कालांतर में उनको कैसे-2 हिस्से प्राप्त हुए। उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में नवला नाना की संपत्ति में उसके नातियों को बराबर-बराबर खातेदारी दी है जो निर्णय विधिसंगत है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्टस की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है और काबिले खारिज है।

6\. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10-01-2014 यथावत रखा जाता है। अपील फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 28-07-2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)